प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.12.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.12.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती कविता पत्नी अनिल निवासी- ग्राम औरंगाबाद गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्त रोहित चौधरी द्वारा वादिया के पति अनिल की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.12.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित चौधरी पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम रोरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल पता बादल मार्केट के पास चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं और अनिल आपस में मित्र थे। हम दोनों साथ में बेलदारी का काम करते थे, हम दोनों मिलकर रोज शराब पीते थे। घटना के दिन हमारा काम नहीं लगा था तो हम दोनों ने साथ में मिलकर 500 रु की शराब खरीदी गयी थी जिसके पैसे मेरे द्वारा दिये गये थे। हम दोनों एकान्त में बैठकर शराब पीने लगे, उसी दौरान मैंने शराब के 250 रु अनिल से मांगे तो अनिल ने पैसे देने से मना कर दिया जिसके पश्चात पैसों को लेकर हमारी कहासुनी ही गयी थी जिसके बाद आवेश में आकर मेरे द्वारा पास में ही पडे लकड़ी के डंडे से अनिल के सिर पर वार कर दिया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित चौधरी पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम रोरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल पता बादल मार्केट के पास चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बरामद (आलाकत्ल)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण समेत हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 02.10.25 को थाना टीलामोड़ पर वादिया/पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान द्वारा वादिया को कमरा दिलाने के बहाने अपने आफिस पर बुलाकर जूस में नशीला पदार्थ मिलकार पिलाकर बेहोशी की हालत में गलत काम कर वादिया की वीडियो बनाकर फोटो खीच लेना, शादी का झांसा देकर मारपीट करना, धमकी देना व अभियुक्त द्वारा अपने दोस्त के साथ पीडिता को शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए जबरदस्ती प्रयास करना एवं अभियुक्त की बहनों द्वारा वादिया को धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 70(1),

123. 74, 115(2), 351(3) बीएनएस व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 02.12.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान निवासी फ्लैट नं0 197 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त शरीफ शादी का झाँसा देकर वादिया/पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहा था । जब पीड़िता ने अभियुक्त से शादी करने के लिये कहा तो अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
शरीफ पुत्र वहीद खान निवासी फ्लैट नं0 197 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 02.12.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. पंकज उर्फ जाट पुत्र गणेश निवासी पंचमुखी मन्दिर के पास गोलू बैग वाली गली प्रताप नगर थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ग्राम ढकौली थाना चांदीनगर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष व 2. बासू पुत्र सुनील निवासी निवासी गली नं0 1 स्टेशन के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता दोघट थाना दोघट जनपद मेरठ उपम्र करीब 28 वर्ष को हल्का क्षेत्र महाराजपुर पैसेफिक मॉल के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त गाजियाबाद, नोएडा व दिल्ली के आसपास क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करते है और चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिये चोरी की हुई मोटर साइकिलों को बेचकर हम अपना खर्चा चलाते है । आज दोनों अभियुक्त चोरी की इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. पंकज उर्फ जाट पुत्र गणेश निवासी पंचमुखी मन्दिर के पास गोलू बैग वाली गली प्रताप नगर थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ग्राम ढकौली थाना चांदीनगर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष।
2. बासू पुत्र सुनील निवासी निवासी गली नं0 1 स्टेशन के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता दोघट थाना दोघट जनपद मेरठ उपम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

श्री केशव कुमार चैाधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध द्वारा सर्किल वेवसिटी के थाना वेवसिटी एवं थाना क्रॉसिग रिपब्लिक में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्व निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का विवेचक वार आयोजन किया गया।

दिनांक- 01.12.2025 को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा सर्किल वेवसिटी के थाना वेवसिटी एवं थाना क्रॉसिग रिपब्लिक में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्व निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का विवेचक वार आयोजन किया गया। जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी एवं प्रभारी निरीक्षक वेवसिटी, थाना क्रॉसिग रिपब्लिक तथा सम्बन्धित थानों के विवेचक मौजूद रहे, तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गये। इसके उपरान्त थाना वेवसिटी परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, पत्रावलियां, रजिस्टरों आदि को चेक किया गया तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु थाना स्तर की तैयारियों का जायजा लिया गया। तदोपरान्त महोदय थाना वेवसिटी के मिशन शक्ति के रजिस्टरों आदि की समीक्षा कर महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी अपराधों में थाना प्रभारी को समय समय पर फीडबैक लेने के निर्देश दिये गये।

➡थाना परिसर व कार्यालयों का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केन्द्र, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, CCTN कक्ष, मालखाना आदि को चेक किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला उत्पीड़न रजिस्टर, सहित अन्य अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर अभिलेखों को अध्यावधिक रखने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने तथा शिकायत के सम्बन्ध में थाना प्रभारी के द्वारा फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए।

➡विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए नये आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिये गए है।

➡इस दौरान 06 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, सम्मन/वारण्टों का अधिक से अधिक तामीला कराये जाने के

कड़े निर्देश दिये गए है। शातिर, अभ्यस्त व हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध अधिक प्रभावी कार्यवाही करते हुए गुण्डा, गैंगस्टर एक्ट, जिलाबदर की कार्यवाही कराते हुये हिस्ट्रीशीट खोलें। सक्रिय गैंग का पंजीकरण करने और पुरस्कार घोषित, गैंगस्टर में वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये।

➡गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।

➡राजस्व से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न करें, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से राजस्व वादों को प्रतिदिन निपटाया जाए, अभियान चलाकर राजस्व वाद, वरासत, भूमि पैमाइश, बंटवारे इत्यादि के मामलों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।

➡थाना समाधान दिवस रजिस्टर, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, रजिस्टर न0-4, शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर, H.S.रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर एवं राजपत्रित अधिकारी निरीक्षण कर रजिस्टर की प्रविष्टियों को अध्यावधिक कराने व शिकायतकर्ता से शिकायत के सम्बन्ध में थाना प्रभारी के द्वारा फीडबैक लेने के निर्देश दिए गये।

➡ सोशल मीडिया पर संवेदनशील सामग्री को पोस्ट, शेयर न करने तथा उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न करने हेतु लोगो को जागरूक करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➡ थाना वेवसिटी एवं थाना क्रासिग रिपब्लिक के थानों से सम्बन्धित अभियुक्तों के डोजियर चैक किये गये तथा अध्यावधिक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा लम्बित 10 वर्षो में सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों डकैती, लूट, स्नैचिंग, चोरी, नकबजनी, गोवध में संलिप्त अपराधियों के अपराधिक इतिहास की समीक्षा कर सक्रिय अभियुक्तगण के विरूद्ध बी0एन0एस0एस0 की निरोधात्मक धाराओं में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध महोदय द्वारा शासन की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए है साथ ही पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में पूर्ण अनुशासन बनाये रखते हुए कर्तव्य पालन किये जाने के निर्देश दिए गए है।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा कार चालक की हत्या करने वाले 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , कब्जे से मृतक का मोबाईल बरामद ।

थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र में दिनांक 20.11.2025 को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर अंतिरिक्ष बिल्डिंग के सामने एक HR38AF0602 स्विफ्ट डिजायर कार में एक व्यक्ति का शव पीछे की सीट पर मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुचकर कार्यवाही की गयी जिसमें शव का पंचायतनामा एवं जिला एमएमजी होस्पिटल में पीएम कराया गया तथा मृतक के सम्बन्ध में जानकारी कर उनके परिजनो को अवगत कराया गया ।

दिनांक 01.12.2025 को मृतक के पुत्र श्री संजय कुमार द्वारा थाना विजयनगर पर तहरीर दी गयी जिसमें दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पिता स्व0 हरिराम पौद्दार की गाड़ी बुक करके गाड़ी छीनने के इरादे से उनकी हत्या कर दी गयी । प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुये टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी , मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस की सहायता से घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. गोविन्द पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नराऊ थाना ऊझानी जिला बदायू हाल पता रवि गुर्जर

का मकान सैक्टर – 3 बवाना थाना बवाना जिला सावर डेरी उत्तर पश्चिम दिल्ली 2. शनि उर्फ छोटू पुत्र सर्वेश नराऊ थाना ऊझानी जिला बदायूं हाल पता बरौला सैक्टर – 49 गौतमबुद्धनगर को आज दिनांक 02.12.2025 को IPEM कालेज के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

1. गोविन्द पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नराऊ थाना ऊझानी जिला बदायूं हाल पता रवि गुर्जर का मकान सैक्टर – 3 बवाना थाना बवाना जिला सावर डेरी उत्तर पश्चिम दिल्ली उम्र 27 वर्ष।
2. शनि उर्फ छोटू पुत्र सर्वेश नराऊ थाना ऊझानी जिला बदायूं हाल पता बरौला सैक्टर – 49 गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त गोविन्द ने पूछने पर बताया कि मैं दिल्ली में विपुल नि0 208 लक्ष्मीविहार थाना नजफगढ दिल्ली के मकान के पास मनफूल फौजी के मकान में फरवरी से किराये पर रह रहा था। मुझे पता था कि विपुल कुमार का सप्लाई का अच्छा काम है और अच्छे पैसा वाला है मैने अपने साथी शनि उर्फ छोटू पुत्र सर्वेश नराऊ थाना ऊझानी जिला बदायूं हाल पता बरौला सैक्टर – 49 गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क किया और हम दोनों ने विपुल के 11 वर्षीय पुत्र की अपहरण की योजना बनाकर रैकी की। अंश झा के अपहरण के लिये एक कार की जरूरत थी। हरीराम पौदार जो अपनी स्विफ्ट कार टैक्सी में चलाता है अंश के अपहरण करने के लिए हरिराम की गाड़ी को छीनने के इरादे से उसकी गाड़ी अलीगढ के लिये दिनांक 20.11.2025 को 3200 रूपये में बुक की जिसे लेकर हम लोग अलीगढ़ चल दिये थे जहां पर कार चालक हरिराम से गाड़ी छीनने को लेकर हाथापाई हुई और वह विरोध करने लगा तो हमने उसको गला दबाकर मार दिया हम डर गये थे जिस कारण हम दोनो ने कार चालक हरिराम को दिल्ली मेरठ एक्सप्रैस वे पर गाड़ी साइड में लगाकर गाडी की आरसी, उसका आधार कार्ड तथा उसका ओपो का मोबाइल फोन लेकर मृतक हरीराम ड्राइवर को पिछली सीट पर डालकर छिपाकर अंधेरे में भाग गये थे कि हमारी तथा गाड़ी चालक की कोई पहचान न हो सके।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

मृतक का मोबाइल फोन, मृतक गाडी का आरसी व मृतक का डीएल , आधार कार्ड , पैन कार्ड , वोटर कार्ड ,घटना में प्रयुक्त रस्सी प्लास्टिक की , मृतक का अंगोछा।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम व थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.02.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र रफीक निवासी अज्ञात व उसके चार अन्य साथी नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी के भाई नितिन व उसके दोस्त के साथ उनकी बाइक को रोककर जान से मारने की नियत से मारपीट व गाली गलौज की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा 191(2),191(3),127(2),131,109 भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत

किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया। मुकदमा उपरोक्त में निरीक्षण घटना स्थल / बयानो / बरामदगी के आधार पर धारा 3(5)/126(2)/115(2) भारतीय न्याय संहिता –2023 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गई तथा उपरोक्त अभियोग में 03 वांछित अभियुक्तों 1. सद्दाम पुत्र रफीक नि0 ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा हाल नि0 गली न0 3 जैनती मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष 2. अब्दुल रहमान खान पुत्र इकरामुद्दीन नि0 बस डिपो के पास नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 37 वर्ष 3. इस्तिखार पुत्र रहमान नि0 मकान किराया रासिद 25 फुटा रोड निकट आमिर मेडीकल स्टोर थाना लोनी जिला गा0बाद मूल नि0 म0न0 A 81 आशियाना सिटी निकट आशा मस्जिद के पास थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आबिद पुत्र शौकीन निवासी पप्पू कालौनी थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने का इकबाल करते हुये बताया कि मेरी व मेरे साथियों की हवा हवाई रेस्टोरेन्ट पर खाना खाने के दौरान वहां पर कार्यरत नितिन नामक लडके से कहासुनी हो गई थी जिससे दुश्मनी निकालने के लिये हमने उसे डयूटी जाते समय हाईवे पर रोक कर जान से मारने की नियत से हमला व मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आबिद पुत्र शौकीन निवासी पप्पू कालौनी थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली से शिकायत निस्तारण सुदृढ़, जनता की संतुष्टि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपराध एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के प्रति प्रभावी नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया गया है। इनमें साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली और वादी संवाद नीति प्रमुख है। इन सभी व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप से क्रियान्वयन से जनसुनवाई, पीड़ित संवाद, त्वरित कार्यवाही तथा पारदर्शी विवेचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र में सामान्य अपराधों एवं महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई है। यह तीनों नीतियाँ पुलिस-जन सहयोग को सुदृढ़ करने, समयबद्ध न्याय की दिशा में कार्य करने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली प्रणाली के क्रियान्वन –

- इस प्रणाली के क्रियान्वन हेतु अपराध शीर्षक वार चैक लिस्ट तैयार की गयी है।

- प्रत्येक अपराध की एक व्यक्तिगत पत्रावली प्रचलित की जायेगी, जिसमें थाना कार्यालय एवं सम्बन्धित विवेचकों द्वारा पत्रावली पर अंकित 14 बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।
- विवेचक विवेचना प्रारम्भ करने के साथ ही विवेचना प्लान संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार करेंगे तथा विवेचना के निस्तारण हेतु विवेचना प्लान के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- इसके साथ ही किसी भी विवेचना में धारा की वृद्धि या घटाना हो या किसी अभियुक्त का नाम बढाना-घटाना हो तब सहायक पुलिस आयुक्त की अनुमति आवश्यक है।
- अगर अभियोग जघन्य अपराध है या धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस यानि की आर्थिक अपराध हो तो सम्बन्धित अनुमोदन पुलिस उपायुक्त के स्तर से होगा।

वादी संवाद नीति

कमिश्नेरट गाजियाबाद हो रहे अपराधों से सम्बन्धित एफआईआर/एनसीआर तथा गुमशुदगी रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में वादी को संतुष्ट करने, अभियोगों में त्वरित व गुणवक्तापूर्ण निस्तारण करने तथा गुमशुदा की शीघ्र एवं सकुशल बरामदगी के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2025 को वादी संवाद नीति लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत हर बुधवार को थाने पर अभियोगों के वादी तथा विवेचक को बुलाकर समस्याओं का समाधान किया जाता है।

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू होने के परिणाम –

- साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली एवं वादी संवाद नीति लागू होने के बाद विवेचनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।
- साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू से आमजन की शिकायतें घटी है।
- साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली से विवेचकों द्वारा विवेचनाओं का निस्तारण तेज हुआ है।
- साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली एवं वादी संवाद नीति के माध्यम से भ्रष्टाचार कम हुआ है।
- साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू होने से विवेचकों की जबाबदेही बढी है।

ये सब हम प्रतिमाह प्राप्त होने वाली जन शिकायतें आईजीआरएस रैकिंग फीडबैक सैल में प्राप्त शिकायतों के नतीजों से देख सकते है।

फीडबैक सेल से प्राप्त शिकायतें

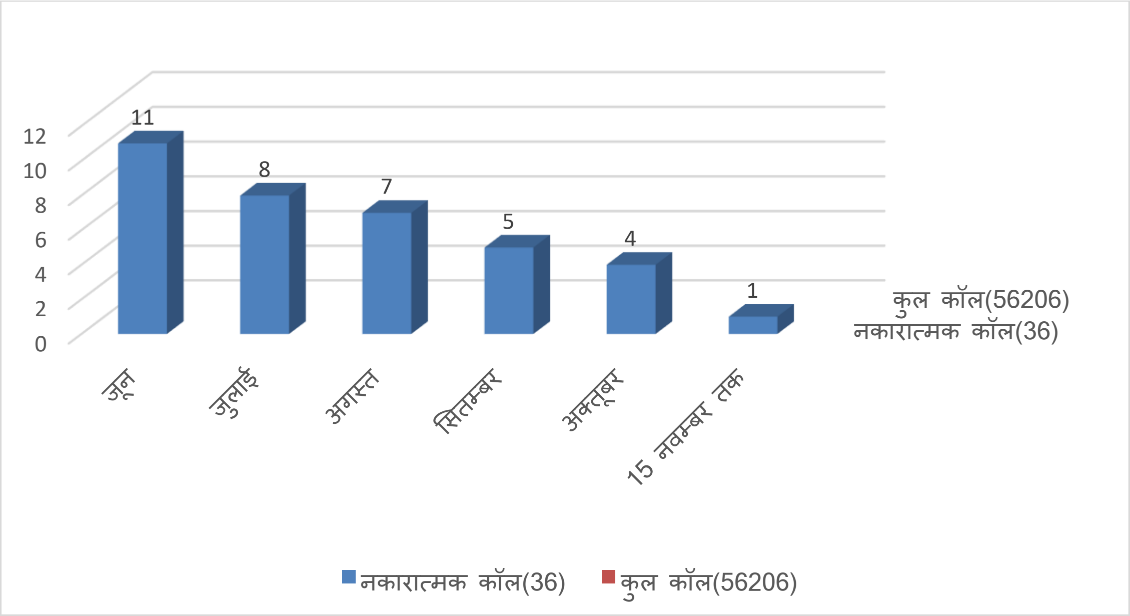

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली शुरू होने के बाद फीडबैक सेल में प्राप्त शिकायतों में भारी गिरावट आई है।

आईजीआरएस

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली शुरू होने के बाद आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा किये गये समयबद्ध निस्तारण के अनुसार थानों का माहवार विवरण –

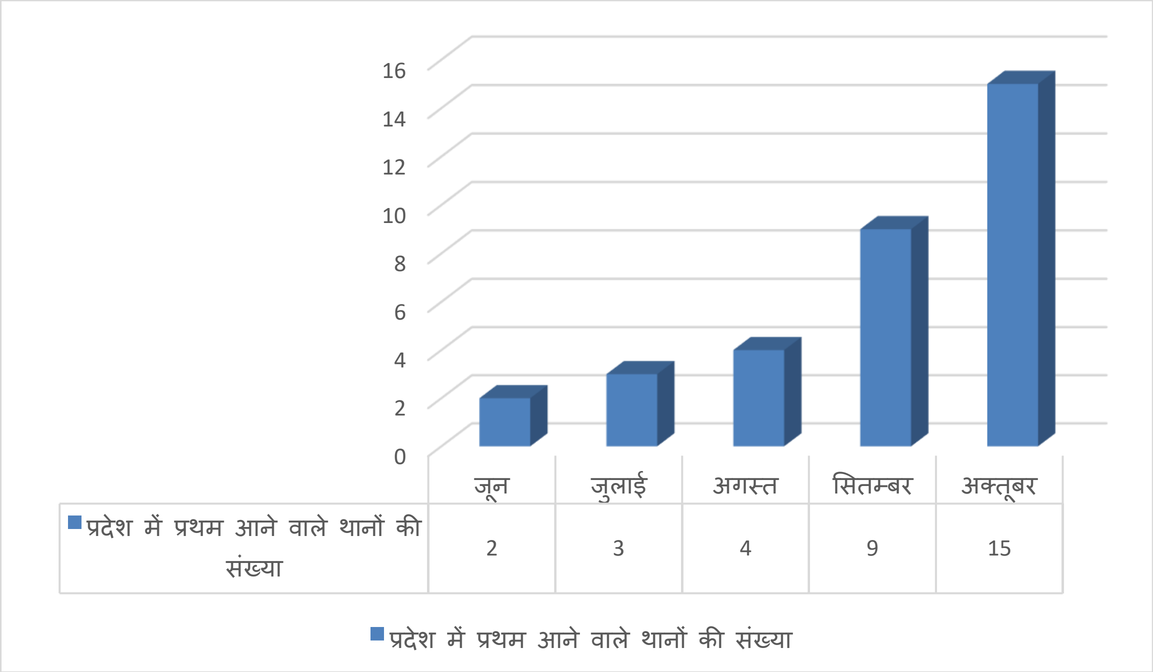

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली शुरू होने के बाद प्रदेश की आईजीआरएस रेकिंग में थानों की रेकिंग में लगातार सुधार हुआ है।

जनशिकायत सेल से प्राप्त शिकायतें

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली शुरू होने के बाद जनशिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का माहवार विवरण –

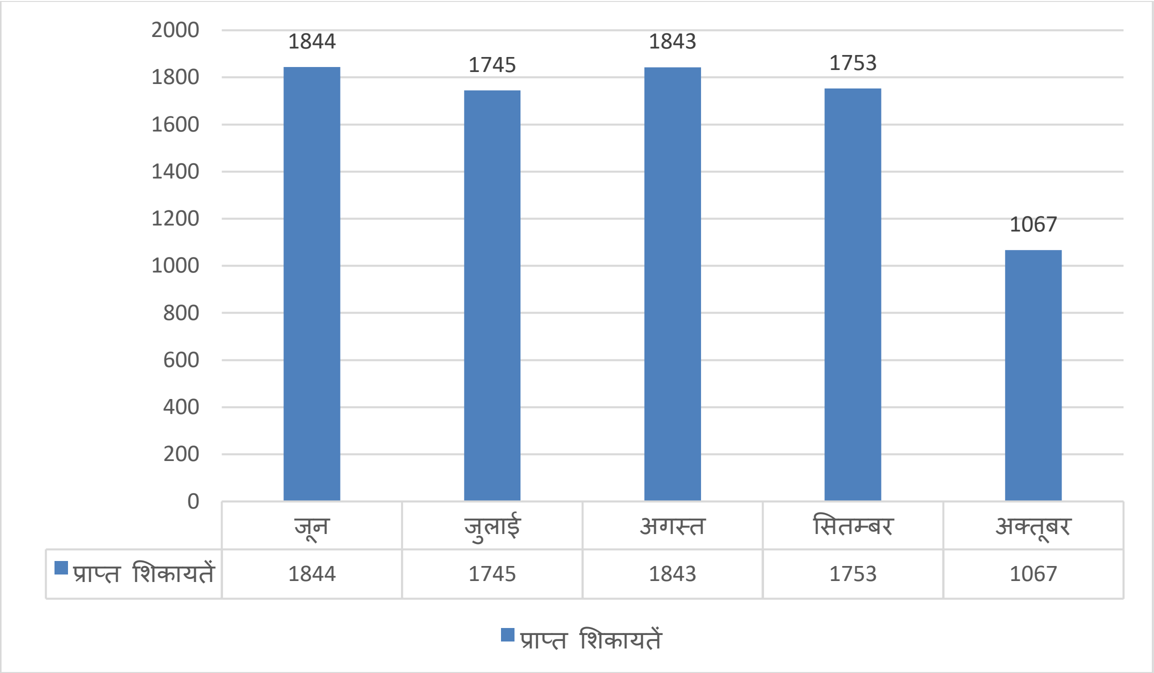

साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली शुरू होने के बाद आमजन की संतुष्टि बड़ी है और शिकायतों में गिरावट आई है।